उत्तर प्रदेश सरकार
औद्योगिक विकास विभाग-**6**
संख्या : 1130/**77-6-09**-
लखनऊ : दिनांक : 18 जून, **2009**

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु की बैठकों में लिये गये निर्णयों का संबन्धित विभागों से समयवद्ध रूप में अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

प्रदेश में उद्योगो की समस्याओं को सुलझाने हेतु उद्योग बन्धु द्वारा संबन्धित विभाग के साथ इकाई के प्रवर्तकों की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता करके निर्णय लिये जाते है। जिन प्रकरणों पर निर्णय लिये जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है अथवा नीति विषयक मामलें होते है, ऐसे मामलों को यथावश्यकता मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित इम्पावर्ड कमेटी एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है।

2. प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठनो तथा उद्यमियों द्वारा उद्योग बन्धु की बैठको में यह समस्या प्रस्तुत की जाती है कि राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता, इम्पावर्ड कमेटी तथा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों में जो निर्णय लिये जाते है उनका अनुपालन संबन्धित विभागो द्वारा समयवद्ध रूप में नही कराया जाता है। परिणामस्वरूप उद्योगो की परियोजनायें स्थापित होने में विलम्ब तथा उद्योगो की समस्याओं का निराकरण न होने के कारण प्रदेश में शासन की छवि धूमिल होती है जिससे औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. अतएव सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु की बैठको में लिये गये निर्णयों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय जिससे पूँजी निवेशकों में विश्वास की भावना जागृत हो। अतः त्रिपक्षीय वार्ता, इम्पावर्ड कमेटी तथा राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठको में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु **'निर्णय अनुपालन अनुश्रवण समिति'** का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
संबन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। (जिनके द्वारा निर्णयों का अनुपालन नही कराया जा सका है)	आमंत्री सदस्य
प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य सचिव

इस समिति द्वारा राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु की बैठको में लिये गये निर्णयों की अनुपालन की समीक्षा की जायेगी। समिति के द्वारा बैठकों में लिये गये निर्णयों का समयवद्ध रूप में अनुपालन न करने वाले अधिकारी का दायित्व निर्धारित करते हुए उस अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा। इस समिति का समस्त सचिवालयी कार्य उद्योग बन्धु द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

ह./-

(**अतुल कुमार गुप्ता**)
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : **(1)/77- 6-09तद्दिनांक**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समिति के सदस्यगण।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
4. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।
7. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8. मुख्य सचिव महोदय के स्टॉफ ऑफिसर।
9. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 कानपुर।
10. अवस्थापना परियोजनाओ से संबन्धित समस्त विकास प्राधिकरण, निगम/परिषद/स्वयायी संस्थायें, उ0प्र0।
11. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

आज्ञा से-

ह./-
(वी0 एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव